रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072024-255711
CG-DL-E-24072024-255711

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 407] नई दिल्ली बुधवार, जुलाई 24, 2024/ श्रावण 2, 1946
No. 407] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 24, 2024/ SHRAVANA 2, 1946

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 446(अ).—निम्नलिखित प्रारूप नियम जिसे केंद्र सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (जेडएच) के साथ पठित धारा 46 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियम पर उस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां सर्वसाधारण को उपलब्ध कराई जाएगी;

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे संयुक्त सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली 110001 को भेजा सकता है;

केंद्र सरकार द्वारा उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियम के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपत्ति या सुझाव पर विचार किया जाएगा।

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन नियमों को दूरसंचार (वैश्विक समुद्री संकट और सुरक्षा प्रणाली के प्रचालन के लिए वाणिज्यिक रेडियो ऑपरेटर का प्रवीणता प्रमाणपत्र) नियम, 2024 कहा जा सकता है।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

क) "**अधिनियम**" से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है;

ख) "**जीएमडीएसएस**" या " **वैश्विक समुद्री संकट और सुरक्षा प्रणाली** " से समुद्री सुरक्षा के लिए सुरक्षा प्रक्रियाओं, फ्रिक्वेंसी, उपकरणों के प्रकार और संचार प्रोटोकॉल का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत सेट जो जहाज और तट दोनों ही स्थानों पर स्थलीय और उपग्रहीय रेडियो प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए प्रचालन अभिप्रेत है;

ग) "**जीएमडीएसएस प्रमाणपत्र**" प्रमाण पत्र की दो श्रेणियों में से कोई भी, अर्थात्, **जीएमडीएसएस जीओसी** और **जीएमडीएसएस आरओसी**, जैसा कि नियम 4 के उप-नियम (1) के तहत निर्दिष्ट से अभिप्रेत है और " **जीएमडीएसएस प्रमाणपत्र धारक**" या "**धारक**" से अभिप्राय वह व्यक्ति जिसे नियम 8 के तहत ऐसा प्रमाणपत्र दिया गया है;

घ) "**अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सम्मेलन**" से 1992 में जिनेवा में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का सम्मेलन या उसके बाद का कोई संशोधन या सुधार अभिप्रेत है जिसे भारत सरकार ने अनुसमर्थित या स्वीकार किया है;

ङ) "**पोर्टल**" से वह पोर्टल अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के नियम 15 के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है;

च) "**रेडियो विनियमन**" से विश्व रेडियो संचार सम्मेलन (जिनेवा 1995) द्वारा अपनाए गए विनियमन और इसमें प्रत्येक संशोधन या सुधार शामिल हैं जिसे भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित या स्वीकार किया गया अभिप्रेत है;

छ) "**नियम**" से दूरसंचार (वैश्विक समुद्री संकट और सुरक्षा प्रणाली के प्रचालन के लिए वाणिज्यिक रेडियो ऑपरेटर का प्रवीणता प्रमाणपत्र) नियम, 2024अभिप्रेत है;

ज) "**डब्ल्यूपीसी विंग**" से दूरसंचार विभाग, भारत सरकार का बेतार आयोजना एवं समन्वय विंग अभिप्रेत है।

(2) वे शब्द और पद जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है परंतु इस अधिनियम में परिभाषित हैं उनके वही अर्थ होंगे जो उनके लिए उस अधिनियम में हैं।

3. कार्यक्षेत्र

कोई भी व्यक्ति इन नियमों के तहत प्रदान किए गए जीएमडीएसएस प्रमाणपत्र के निबंधन और शर्तों के तहत और उनके अनुसार ही जीएमडीएसएस का प्रचालन करेगा।

4. जीएमडीएसएस प्रमाणपत्रों की श्रेणियाँ और पात्रता

(1) जीएमडीएसएस प्रमाण पत्र की दो श्रेणियां होंगी जो नियम 8 के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा सकती हैं, अर्थात्:

क) जीएमडीएसएस - सामान्य ऑपरेटर का प्रमाणपत्र, या जीएमडीएसएस - जीओसी;

ख) जीएमडीएसएस - सीमित ऑपरेटर का प्रमाणपत्र, या जीएमडीएसएस -आरओसी.

(2) संबंधित श्रेणी के तहत जीएमडीएसएस प्रमाणपत्र नियम 8 के अनुसार उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो नीचे दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करता है और नियम 7 के तहत निर्दिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण करता है:

जीएमडीएसएस-जीओसी	**जीएमडीएसएस-आरओसी**
भारत का नागरिक	भारत का नागरिक
परीक्षा की तिथि को अठारह वर्ष से अधिक आयु।	परीक्षा की तिथि को अठारह वर्ष से अधिक आयु।
क) अखिल भारतीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा (12 वीं कक्षा) या भारत में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित गणित और भौतिक विज्ञान विषयों के साथ समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है; अथवा ख) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के प्रावधानों के अंतर्गत पोत परिवहन महानिदेशक, भारत सरकार द्वारा जारी या मान्यता प्राप्त योग्यता या इसके समकक्ष का विधिमान्य प्रमाण-पत्र रखता है; अथवा ग) डब्ल्यूपीसी विंग द्वारा जारी प्रवीणता या इसके समकक्ष कोई विधिमान्य प्रमाण-पत्र रखता है।	क) माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा (10 वीं कक्षा) या भारत में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के समुद्री या मत्स्य पालन विभागों के सांविधिक निकायों द्वारा जारी विधिमान्य प्रमाण-पत्र रखता है; अथवा ख) मर्चेंट नौवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के प्रावधानों के तहत नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार द्वारा जारी या मान्यता प्राप्त योग्यता या इसके समकक्ष का विधिमान्य प्रमाण-पत्र रखता है; अथवा ग) डब्ल्यूपीसी विंग द्वारा जारी प्रवीणता या इसके समकक्ष कोई विधिमान्य प्रमाण-पत्र रखता है।
समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त किसी भी संस्थान में वैश्विक समुद्री संकट और सुरक्षा प्रणाली उपकरण पर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो जिसकी अवधि लगातार दो सप्ताह (न्यूनतम छियानबे घंटे) के लिए हो।	समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त किसी भी संस्थान में वैश्विक समुद्री संकट और सुरक्षा प्रणाली उपकरण पर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो जिसकी अवधि कम से कम एक सप्ताह (न्यूनतम चालीस घंटे) के लिए हो।

(3) इन नियमों में समाविष्ट किसी बात के होते हुए केन्द्रीय सरकार, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह समय-समय पर लागू करे, किसी ऐसे व्यक्ति को जो भारत का नागरिक नहीं है नियम 7 के तहत संबंधित श्रेणी के अंतर्गत जीएमडीएसएस प्रमाणपत्र प्रदान करने के प्रयोजन से आयोजित परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकती है।

5. जीएमडीएसएस जीओसी प्रदान करने के लिए परीक्षा हेतु आवेदन

(1) नियम 4 के उप-नियम (2) के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति जीएमडीएसएस जीओसी प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार को परीक्षा हेतु इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट प्रपत्र में आवेदन कर सकता है और एक हजार रुपये की फीस का भुगतान कर सकता है।

(2) जीएमडीएसएस जीओसी को प्रदान करने के लिए परीक्षा में निम्नलिखित दो भाग होंगे:

क) भाग-I में 60 अंकों के लिए लिखित परीक्षा है, जिसके लिए उत्तीर्णांक 36 अंक होंगे;

ख) भाग-II में 100 अंकों के लिए व्यावहारिक और मौखिक परीक्षा शामिल है, जिसके लिए उत्तीर्णांक 70 अंक होंगे।

(3) परीक्षा के भाग-I को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद भाग-II को करना केवल उन आवेदकों के लिए अनिवार्य होगी जिन्होंने पहले जीएमडीएसएस जीओसी नहीं किया है और जो ऐसे प्रमाण-पत्र की समाप्ति के पांच साल से अधिक समय बाद जीएमडीएसएस जीओसी के लिए आवेदन कर रहे हैं। नियम 9 के उप नियम (1), (2) और (3) के तहत आवेदक परीक्षा के भाग-II के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं।

6. जीएमडीएसएस आरओसी प्रदान करने के लिए परीक्षा के लिए आवेदन

(1) नियम 4 के उप-नियम (2) के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार को जीएमडीएसएस आरओसी प्राप्त करने के लिए परीक्षा हेतु इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट प्रपत्र में आवेदन कर सकता है और एक हजार रुपये की फीस का भुगतान कर सकता है।

(2) जीएमडीएसएस आरओसी प्रदान करने के लिए परीक्षा दो भागों में होगी भाग-I लिखित परीक्षा होगी और भाग-II में व्यावहारिक और मौखिक परीक्षा होगी परीक्षा के प्रत्येक भाग के लिए 50 अंक होगा। सफल होने के लिए आवेदक को भाग-I और भाग-II दोनों में संयुक्त रूप से कुल 50 अंक प्राप्त करने होंगे।

7. जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए परीक्षा का आयोजन

(1) केन्द्र सरकार क्रमशः जीएमडीएसएस जीओसी और जीएमडीएसएस आरओसी प्राप्त करने के लिए परीक्षा का पाठ्यक्रम, स्थान, तरीका, तिथि और समय तथा ऐसी परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तिथि प्रकाशित करेगी।

(2) ऐसी परीक्षा की भाषा अंग्रेजी होगी।

8. जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र प्रदान करना और वैधता

(1) केंद्र सरकार परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद सफल उम्मीदवारों को अनंतिम (प्रोविजनल) प्रमाण-पत्र जारी करेगी जो छह माह तक वैध होगा। ऐसे प्रमाण-पत्रों की निबंधन और शर्तें अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सम्मेलन और रेडियो विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

(2) अनंतिम (प्रोविजनल) प्रमाण-पत्र धारक को प्रोविजनल प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर संबंधित श्रेणी के जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करना होगा।

(3) कोई भी अनंतिम (प्रोविजनल) प्रमाण-पत्र धारक जो छह माह की अवधि के बाद और प्रोविजनल प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से दो वर्ष तक जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करता है, उसे उप-नियम (5) के अंतर्गत देय शुल्क के अलावा एक हजार रुपए के विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा।

(4) उप-नियम (1) के अंतर्गत अनंतिम (प्रोविजनल) प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने पर जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र प्रदान नहीं किया जाएगा।

(5) निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी के अंतर्गत जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट शुल्क के भुगतान के अधीन जारी किया जाएगा:

प्रमाण पत्र की श्रेणी		**शुल्क**
(i)	जीएमडीएसएस जीओसी	बीस वर्ष की वैधता अवधि के लिए दस हजार रुपये आजीवन वैधता के लिए पंद्रह हजार रुपये
(ii)	जीएमडीएसएस आरओसी	आजीवन वैधता के लिए पांच हजार रुपये

इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए "आजीवन" शब्द का तात्पर्य जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र धारक द्वारा अस्सी वर्ष की आयु प्राप्त करने से है।

(6) जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि नियम 7 के अंतर्गत आयोजित परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तिथि से शुरू होगी। जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र की प्रत्येक श्रेणी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सम्मेलन और रेडियो विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तों के अधीन होगी।

9. जीएमडीएसएस जीओसी का नवीकरण

(1) बीस वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए वैध जीएमडीएसएस जीओसी का नवीकरण ऐसे जीएमडीएसएस जीओसी की समाप्ति से एक वर्ष पूर्व किए गए आवेदन के आधार पर इस प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में नियम 8 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्धारित किए गए शुल्क का भुगतान करने पर और निम्नलिखित निर्धारित मानदंडों में से किसी एक मानदंड को पूरा करने पर आगे बीस वर्ष की अवधि के लिए अथवा आजीवन के लिए नवीकृत किया जा सकता है:

क) जीएमडीएसएस जीओसी की समाप्ति की तिथि से ठीक पूर्व पांच वर्ष की अवधि के भीतर कम से कम छह माह के कुल अनुभव का प्रमाण प्रस्तुत करना; अथवा

ख) नियम 5 के उप-नियम (2) के उप-पैरा (ख) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट परीक्षा के भाग-II को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करना।

(2) जीएमडीएसएस जीओसी की समाप्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर नवीकरण के लिए आवेदन उप-नियम (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानदंडों की पूर्ति और एक हजार रुपये की दर से विलंब शुल्क के भुगतान के अधीन होगा।

(3) जीएमडीएसएस जीओसी की समाप्ति की तिथि से दो वर्ष के बाद नवीकरण के लिए आवेदन पर नियम 8 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्धारित किए गए शुल्क के भुगतान तथा एक हजार रुपये के विलंब शुल्क का भुगतान भी करने के अतिरिक्त नियम 5 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट परीक्षा के भाग-II को आवेदक द्वारा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने पर ही विचार किया जाएगा।

(4) जीएमडीएसएस जीओसी की समाप्ति की तिथि से पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी जीएमडीएसएस जीओसी का नवीकरण नहीं किया जाएगा।

10. डुप्लीकेट जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र जारी करना

(1) जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र की डुप्लीकेट प्रति के लिए केंद्र सरकार को इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्रारूप में एक हजार रुपये की शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन करना होगा। यदि जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र खो गया है तो आवेदन के साथ स्थानीय पुलिस स्टेशन में प्रमाण-पत्र खोने के संबंध में दर्ज कराई गई रिपोर्ट संलग्न करनी होगी।

(2) केन्द्र सरकार ऐसे आवेदन के आधार पर डुप्लीकेट जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र जारी कर सकती है।

11. जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र धारकों पर लागू सामान्य दायित्व

(1) केन्द्र सरकार इन नियमों के अंतर्गत किसी भी समय जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र धारक से प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करने की मांग कर सकती है और प्रमाण-पत्र धारक को ऐसी मांग का अनुपालन करना होगा।

(2) जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र धारक ऐसे जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाली किसी भी शर्त में किए गए संशोधन, परिवर्तन, प्रतिसंहरण अथवा निलबंन से बाध्य होगा। नियम 15 के अंतर्गत अधिसूचित होने पर ऐसे परिवर्तनों को आधिकारिक वेबसाइट और इसके साथ-साथ

पोर्टल पर पर प्रकाशन के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा और जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र के लिए आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए ईमेल पते पर ईमेल भी भेजा जाएगा।

(3) यदि कोई संदेश जिसे प्राप्त करने का अधिकार जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र धारक को नहीं है, फिर भी उसे वह संदेश प्राप्त होता है तो ऐसा जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र धारक इसके विषयों, इसके स्रोत अथवा गंतव्य, इसके अस्तित्व अथवा इसकी प्राप्ति के तथ्य किसी भी व्यक्ति को ज्ञात नहीं करेगा अथवा ज्ञात करने की अनुमति नहीं देगा, (केंद्र सरकार अथवा किसी न्यायालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधिकारी के अलावा किसी अन्य को), और ऐसे संदेश की लिखित में प्रतिकृति नहीं बनाएगा, उसकी प्रतिलिपि नहीं बनाएगा अथवा ऐसे संदेश का कोई उपयोग नहीं करेगा अथवा उस संदेश को लिखित में प्रतिकृति बनाने, प्रतिलिपि बनाने अथवा उसका उपयोग किए जाने की अनुमति प्रदान नहीं करेगा।

12. अन्य देशों द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्रों की मान्यता

केन्द्र सरकार समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन नियम 8 के अंतर्गत प्रदान किए गए प्रमाण-पत्रों की तर्ज पर किसी अन्य देश में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्रों को मान्यता दे सकती है।

13. जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र को निलंबित अथवा रद्द करना

केन्द्र सरकार जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र को निलंबित अथवा रद्द कर सकती है यदि उसके विचार में जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र धारक ने:

क) ऐसे जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र के लिए लागू अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सम्मेलन और रेडियो विनियमों के प्रावधानों अथवा रेडियो उपकरण के प्रचालन के संबंध में ऐसे जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र धारक पर लागू नियमों का पालन करने में विफल रहा हो अथवा

ख) जानबूझकर केन्द्र सरकार को गलत अथवा असत्य सूचना दी हो;

बशर्ते कि इस उप-नियम के अंतर्गत निलंबित अथवा रद्द करने का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र धारक को केंद्र सरकार के समक्ष प्रमाण-पत्र निलंबित अथवा रद्द करने के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।

14. फीस वापस नहीं की जाएगी

किसी भी कारण से जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र को निलंबित अथवा रद्द करने अथवा जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र के निबंधन और शर्तों के किसी भी संशोधन, परिवर्तन, रद्द करने अथवा प्रतिसंहरण के परिणामस्वरूप कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा अथवा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

15. इन नियमों का डिजिटल कार्यान्वयन

केंद्र सरकार इस अधिनियम की धारा 53 के अनुक्रम में इन नियमों के डिजिटल कार्यान्वयन के लिए को पोर्टल अधिसूचित कर सकती है जिसमें आवेदन प्रस्तुत करना, पाठ्यक्रम का प्रकाशन, परीक्षा का स्थान, तरीका, तिथि और समय, परीक्षा के परिणामों की घोषणा, जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र प्रदान करना, निबंधन और शर्तों में संशोधन, जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्रों के संचालन के लिए यथा अपेक्षित कोई अन्य अनुमति, अनुदेश अथवा निर्देश शामिल हैं।

[फा. सं. 24-03/2024-यूबीबी]

देवेंद्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2024

G.S.R. 446(E).—The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred under section 46, read with clause (zh) of sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (Telecom), Department of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India, Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road, New Delhi - 110001;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be taken into consideration by the Central Government.

1. Short title and commencement

(1) These rules may be called the Telecommunications (Commercial Radio Operator's Certificate of Proficiency to Operate Global Maritime Distress and Safety System) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions

(1) In these rules, unless the context otherwise requires:

a) "**Act**" means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);

b) "**GMDSS**" or "**Global Maritime Distress and Safety System**" means an internationally agreed set of safety procedures, frequencies, types of equipment, and communication protocols for maritime safety, which operates using terrestrial and satellite radio technologies, both onboard ships and onshore;

c) "**GMDSS Certificate**" means either of the two categories of certificates, namely, **GMDSS GOC** and **GMDSS ROC,** as specified under sub-rule (1) of rule 4, and a "**GMDSS Certificate holder**" or "**holder**" means the person who has been granted such certificate under rule 8;

d) "**International Telecommunication Convention**" means the Convention of the International Telecommunication Union signed at Geneva in 1992 or any subsequent revision or modification thereof which the Government of India has ratified or accepted;

e) "**portal**" means the portal which may be notified by the Central Government under rule 15 of these rules;

f) "**Radio Regulations**" means the regulations adopted by the World Radiocommunication Conference (Geneva 1995) and includes every revision or modification thereof which the Government of India has ratified or accepted;

g) "**rules**" means the Telecommunications (Commercial Radio Operator's Certificate of Proficiency to operate Global Maritime Distress and Safety System) Rules, 2024;

h) "**WPC Wing**" means the Wireless Planning and Co-ordination Wing of the Department of Telecommunications, Government of India.

(2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act shall have the meaning assigned to them in the Act.

3. Scope

No person shall operate GMDSS except under and in accordance with the terms and conditions of a GMDSS Certificate granted under these rules.

4. Categories of GMDSS certificates and eligibility

(1) There shall be two categories of GMDSS Certificates which may be granted by the Central Government under rule 8, namely:

a) GMDSS - General Operator's Certificate, or GMDSS- GOC;

b) GMDSS - Restricted Operator's Certificate, or GMDSS- ROC.

(2) A GMDSS Certificate under the relevant category shall be granted in accordance with rule 8 to a person who satisfies the eligibility criteria as set forth below, and qualifies the examination specified under rule 7:

GMDSS – GOC	**GMDSS - ROC**
Citizen of India	Citizen of India
Above the age of eighteen years, as on the date of examination.	Above the age of eighteen years, as on the date of examination.
(a) Passed the All India Senior Secondary School Certificate Examination (12^{th} standard) or equivalent examination conducted by a recognized Board or University in India with Mathematics and Physics as subjects; or (b) Holds a valid Certificate of Competency or its equivalent issued or recognized by the Directorate General of Shipping, Government of India, under the provisions of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958); or (c) Holds a valid certificate of proficiency or its equivalent issued by the WPC Wing.	(a) Passed the Secondary School Certificate Examination or an equivalent examination (10^{th} standard) conducted by a recognized Board or University in India or holds a valid certificate issued by statutory bodies of maritime or fisheries departments of the Central Government or State Government; or (b) Holds a valid Certificate of Competency or its equivalent issued or recognized by the Directorate General of Shipping, Government of India, under the provisions of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958); or (c) Holds a valid certificate of proficiency or its equivalent issued by the WPC Wing.
Has undergone practical training on Global Maritime Distress and Safety System equipment, in any of the institutes approved by the Central Government from time to time, for a period not less than two continuous weeks (minimum ninety-six hours).	Has undergone practical training on Global Maritime Distress and Safety System equipment, in any of the institutes approved by the Central Government from time to time, for a period not less than one week (minimum forty hours).

(3) Notwithstanding anything contained in these rules, the Central Government may, subject to such conditions as it may impose from time to time, permit a person, not being a citizen of India, to take the examination held under rule 7, for the purpose of grant of the GMDSS Certificate under the relevant category.

5. Application for examination for grant of GMDSS GOC

(1) Any person satisfying the eligibility criteria set forth under sub-rule (2) of rule 4 may make an application for the examination for obtaining the GMDSS GOC to the Central Government, in the form as may be specified for this purpose and pay fees of one thousand rupees.

(2) Examination for grant of GMDSS GOC shall consist of the following two parts: -

(a) Part-I comprising of a written examination for 60 marks, for which the passing marks shall be 36 marks; and

(b) Part-II comprising of a practical and oral examination, for 100 marks, for which the passing marks shall be 70 marks.

(3) The successful completion of Part-I of the examination shall be a mandatory requisite for undertaking Part-II only for applicants who have previously not held GMDSS GOC, and those applying for GMDSS GOC more than five years after the expiry of such certificate. Applicants under sub rules (1), (2) and (3) of rule 9 can apply directly for the Part-II examination.

6. Application for examination for grant of GMDSS ROC

(1) Any person satisfying the eligibility criteria set forth under sub-rule (2) of rule 4 may make an application for the examination for obtaining GMDSS ROC to the Central Government, in the form as may be specified for this purpose and pay fees of one thousand rupees.

(2) Examination for grant of GMDSS ROC shall consist of Part-I comprising of a written examination and Part-II comprising of practical and oral examination, each part having 50 marks. A successful applicant shall be required to obtain a total combined score of 50 marks in Part I and Part II together.

7. Conduct of examination for grant of GMDSS Certificate

(1) The Central Government shall publish the syllabus, place, manner, date and time for the examination for obtaining the GMDSS GOC and GMDSS ROC respectively, and the date of announcement of the results of such examination.

(2) The language of such examination shall be English.

8. Grant and validity of GMDSS Certificate

(1) The Central Government shall issue a provisional certificate with a validity of six months to the successful candidates immediately on declaration of the results. The terms and conditions for such certificates shall be as specified under the International Telecommunication Convention and the Radio Regulations.

(2) A provisional certificate holder shall apply for GMDSS Certificate of the relevant category, within a period of six months from the date of issue of the provisional certificate.

(3) Any provisional certificate holder who applies for the GMDSS Certificate beyond a period of six months and up to two years from date of issue of provisional certificate, shall be required to make a payment of late fees of one thousand rupees in addition to the fees payable under sub-rule (5).

(4) The GMDSS Certificate shall not be granted upon lapse of two years from the date of issue of provisional certificate under sub-rule (1).

(5) GMDSS Certificate under any of the following categories shall be issued subject to payment of fees as specified below:

Category of Certificate		**Fee**
(i)	GMDSS GOC	Ten thousand rupees for validity period of twenty years Fifteen thousand rupees for lifetime validity
(ii)	GMDSS ROC	Five thousand rupees for lifetime validity

For the purposes of this sub-rule, the expression "lifetime" means till the GMDSS Certificate holder attains the age of eighty years.

(6) The validity period of the GMDSS Certificate shall commence from the date of declaration of the result of the examination conducted under rule 7. Each category of GMDSS Certificate shall be subject to terms and conditions as specified under the International Telecommunication Convention and the Radio Regulations.

9. Renewal of GMDSS GOC

(1) A GMDSS GOC which is valid for an initial period of twenty years, may be renewed for another twenty years or for lifetime, based on an application made within one year prior to the expiry of such GMDSS GOC, in the form as may be specified by the Central Government for this purpose, on payment of fee as provided under sub-rule (5) of rule 8, and fulfilment of either of the criteria set forth below:

a) submission of proof of total experience of not less than six months, within a period of five years immediately preceding the date of expiry of the GMDSS GOC; or

b) successful completion of Part-II of the examination as specified under sub-paragraph (b) of sub-rule (2) of rule 5.

(2) An application for renewal within two years after the date of expiry of the GMDSS GOC, subject to the fulfilment of the criteria specified under sub-rule (1) above and payment of late fees at the rate of one thousand rupees.

(3) An application for renewal after two years of the date of expiry of the GMDSS GOC, shall be considered only upon successful completion by the applicant of Part-II of the examination as specified under rule 5, in addition to payment of fee as provided under sub-rule (5) of rule 8, as well as payment of late fee of one thousand rupees.

(4) No GMDSS GOC shall be renewed after a lapse of five years from the date of expiry of the GMDSS GOC.

10. Issue of duplicate GMDSS Certificate

(1) An application for duplicate GMDSS Certificate shall be made to the Central Government in the form as specified for this purpose, along with payment of fees of one thousand rupees. In case the GMDSS Certificate has been lost, the application shall be accompanied with the report filed with the local police regarding such loss.

(2) The Central Government may issue a duplicate GMDSS Certificate based on such application.

11. General obligations applicable to GMDSS certificate holders

(1) The Central Government may under these rules at any time require the GMDSS Certificate holder to produce the same and the holder shall comply with such requisition.

(2) The GMDSS Certificate holder shall be bound by modification, variation, cancellation or revocation of any of the conditions governing the grant of such GMDSS Certificate. Such changes shall be made available through publication on the official website, as well as on the portal as and when notified under rule 15, and an email shall also be sent to the email address provided by the applicant in his application for GMDSS Certificate.

(3) If any message which a GMDSS Certificate holder is not entitled to receive is, nevertheless received, such GMDSS Certificate holder shall not make known or allow to be made known its contents, its origin or destination, its existence or the fact of its receipt to any person, (other than to an officer duly authorised for this purpose by the Central Government or a court of law), and shall not reproduce in writing, copy or make any use of such message or allow the same to be reproduced in writing, copied or made use of.

12. Recognition of certificates issued by other countries

The Central Government may recognize, subject to conditions as it may specify from time to time, certificates similar to those granted under rule 8, issued by a competent authority in any other country.

13. Suspension or cancellation of GMDSS Certificate

The Central Government may suspend or cancel the GMDSS Certificate if in its opinion, the GMDSS Certificate holder has:

(a) failed to comply with the provisions of the International Telecommunication Convention and the Radio Regulations as applicable for such GMDSS Certificate, or rules applicable to such GMDSS Certificate holder in respect of operation of radio equipment, or

(b) wilfully furnished incorrect or false information to the Central Government;

Provided that no order of suspension or cancellation under this sub-rule shall be made unless the GMDSS Certificate holder has been given a reasonable opportunity of making a representation against such suspension or cancellation to the Central Government.

14. No refund of fees

No compensation or refund of fees shall be applicable as a result of any suspension or cancellation of the GMDSS Certificate, for any reason whatsoever, or for any modification, variation, cancellation or revocation of terms and conditions of the GMDSS Certificate.

15. Digital Implementation of these Rules

The Central Government, in furtherance of section 53 of the Act, may notify a portal for the digital implementation of these rules, including for submission of applications, publication of syllabus, place, manner, date and time of examination, declaration of results of examinations, grant of GMDSS Certificate, modification of terms and conditions, any other permission, instruction or direction as may be required for the operation of the GMDSS Certificates.

[F. No. 24-03/2024-UBB]

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.07.24 22:36:26 +05'30'